

दूरभाष : 011-23238542, 23236740
Telephone : 011-23238542, 23236740
फैक्स : 0091-011-23231252
Fax : 0091-011-23231252
E-mail ई-मेल: secy-dci@nic.in
Website : www.dciindia.gov.in



ऐवान-ए-गालिब मार्ग
कोटला रोड़, नई दिल्ली - 110 002
Aiwan-E-Galib Marg,
Kotla Road, New Delhi - 110 002

**MOST URGENT
WEBSITE
SPEED POST**

भारतीय दन्त परिषद DENTAL COUNCIL OF INDIA

(CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)

No. DE-167(Anti Ragging Cell)-2019/ 4884
To,

Dated the 30th September, 2019

The Principals/Heads
of all the Dental Colleges in the Country

Sub: MEASURES FOR CURBING THE MENACE OF RAGGING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS – IMPLEMENTATION OF DIRECTIONS OF HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA - information as per section 12.1 of DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009 to be uploaded on DCI website by 31.10.2019 – Regarding.

Sir/Madam,

I am directed to say that as per DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, it is the responsibility of all the institution to ensure that no incident of ragging takes place in their dental institution and measures taken to curb it may be reviewed.

2. As per section 11.3 of the aforesaid regulations, the authorities/Management (Trust, Societies, etc.) of the institution, particularly the Head of the institution, shall be responsible to ensure that no incident of ragging takes place in the institution. In case any incident of ragging takes place, the Management/Head shall take prompt and appropriate action against the person(s) whose dereliction of duty lead to the incident. The authority designated to appoint the Head shall, in its turn, take prompt and appropriate action against the head.
3. All dental institutions should issue advertisements against ragging through signboards, pamphlets etc. before the commencement of academic year as well as during the midst of the session. You are also requested to issue booklets to all the students of your Institutions containing the details about what constitutes ragging, punishable ingredients of ragging, punishments and penalty for ragging, names and mobile numbers of the members of the Anti Ragging Squad, Anti Ragging Committee (Anti Ragging Helpline), Wardens, Deputy Wardens of Men's and Women's hostel.
4. All dental Institutions shall designate any of their faculty member(s) as "Counsellor" for fresher and senior students to co-ordinate the batches of students (Counselees) regularly about day-to-day problems and also to sensitize their role in curbing the menace of ragging.
5. You are further requested to obtain and file undertaking, on anti ragging, from all parents/guardians and students (1st year to final year) studying in BDS/MDS/PG Diploma/Para Dental Courses or any other course approved/recognised by DCI, online through www.antiragging.in / www.amanmovement.org.
6. Besides above, it is also pertinent to mentioned here that, as per **section 12.1** of subject regulations, each and every institution shall submit its reports in prescribed format (Annexure-II) to the Secretary, Dental Council of India, Aiwan-E-Galib Marg, Kotla Road, New Delhi-110002, **by 31st October** of every year **in respect of the previous academic session**, indicating the requisite information against each column thereof, failing which the Dental Council of India, as per section 11.4 of Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, shall impose any one or any combination of the following penalties on it:-

- 11.4.1 To initiate the derecognition process against the institution under section 16A of the Dentists Act, 1948.
- 11.4.2 To reduce the ad'mission capacity of the institution to the extent to which the Council deem fit.
- 11.4.3 To stop further admission in the institution till further orders.
- 11.4.4 To stop renewal of permission in respect of UG/PG Dental Courses.
- 11.4.6 To post the information regarding penalties so imposed on the concerned institution on the website of DCI for information of all concerned.

Cont'd...2


7. Further, it is also to inform you that the DCI has developed an online module to upload the requisite information / documents on DCI website to reduce the paper work and to scrutiny the above data efficiently, accordingly, the Executive Committee of the DCI in its meeting held on 13.10.2018 at New Delhi has decided that the all the requisite information / documents required as per DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, shall be uploaded on DCI website and any hard copy of information /documents received by Post or sent by E-mail shall not be considered by DCI.

8. In view of the above, I am directed to request you that the requisite information in the prescribed format (Annexure-II as prescribed in DCI Regulations) for the **academic session 2019-2020** may kindly be uploaded on DCI website **by 31.10.2019**, positively, as the said information is required to be uploaded as per request of the Monitoring Committee appointed by the Hon'ble Supreme Court of India. In case the information is not uploaded **by 31.10.2019** on DCI website, the name of defaulting institution will be forwarded to the said Monitoring Committee for such appropriate action as may be deemed fit and proper by the said Hon'ble Monitoring Committee, and their names will also be uploaded on DCI Website.

9. This may kindly be treated as '**Most Urgent**'.

10. The Dental Council of India ensures **Zero Tolerance** against ragging of any sort.

Yours faithfully,


(Mukesh Kumar)
Assistant Secretary
Dental Council of India

Copy for information:-

1. The Secretary to the Govt. of India, Ministry of Health & Family Welfare, (Deptt. of Health – DE Section), Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi – 110 011.
2. The Deputy Secretary (HE) Ministry of Human Resource Development, Room No. 506 'B' Wing Shastri Bhawan, New Delhi 110001.
3. Dr. Pankaj Mittal, Additional Secretary, UGC, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002.
4. Dr. Archana Thakur, Joint Secretary, UGC, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002.
5. Ms. Chander Kanta Bhalla, Under Secretary, UGC, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, 35, Feroz Shah Road, New delhi – 110 001
6. Prof. S. K. Katharia, Prof. & Head, Deptt. of Dental Surgery, S. N. Medical College, Agra- 282 003 (Uttar Pradesh)
7. The President, Dental Council of India, New Delhi
- ✓ 8. Server Room – To upload on DCI website.

— sd —

(Mukesh Kumar)
Assistant Secretary
Dental Council of India



भारतीय दन्त परिषद

DENTAL COUNCIL OF INDIA

(CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)

सं० डी.ई.-167(एंटी रैगिंग सेल)-2019/66

दिनांक १० सितम्बर, 2019

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी, देश के सभी दंत महाविद्यालय

विषय: भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन एवम दंत कॉलेजों में रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने वाले डीसीआई विनियम, 2009 की धारा 12.1 के अनुसार शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने के लिए सूचनाएं 31.10.2019 तक डीसीआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डीसीआई विनियम के मुताबिक, दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने के लिए सभी दन्त संस्थानों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके दंत संस्थान में रैगिंग की कोई घटना न हो और इसे रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की जाए।

2. उपर्युक्त नियमों की धारा 11.3 के अनुसार, संस्थान के प्राधिकारी / प्रबंधक वर्ग (ट्रस्ट, सोसाइटी आदि), विशेष रूप से संस्थान का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि संस्थान में रैगिंग की कोई घटना न हो। यदि रैगिंग की कोई घटना घटती है तो वह प्रबंधक वर्ग / अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल और उपयुक्त कार्रवाई करेगा जिनके कर्तव्य की लापरवाही से यह घटना हुई। तदनंतर अध्यक्ष को नियुक्त करने वाला पदनामित अधिकारी अध्यक्ष के विरुद्ध तत्काल और उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

3. सभी दंत संस्थानों को अकादमिक वर्ष के आरंभ होने के साथ-साथ सत्र के दौरान भी साइनबोर्ड, पुस्तिका आदि के माध्यम से रैगिंग रोकने के लिए विज्ञापन देना चाहिए। आपसे अनुरोध किया जाता है कि अपने संस्थान के सभी छात्रों को पुस्तिकाएं जारी करें, जिसमें विवरण हो कि रैगिंग क्या है, रैगिंग की दंडनीय गतिविधियां, रैगिंग करने पर दंड व जुर्माना और रैगिंग विरोधी दस्ते के सदस्यों (एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग हैल्पलाइन), पुरुष व महिला होस्टल वार्डन्स / डिप्टी वार्डन्स आदि के नाम और मोबाइल नंबर।

4. सभी दंत संस्थान अपने किसी भी संकाय सदस्य (सदस्यों) को नये और वरिष्ठ छात्रों के लिए "सलाहकार" के रूप में नामित करें, जो दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के बारे में नियमित रूप से विद्यार्थियों (काउसेलीस) के दल को समन्वयित करने तथा रैगिंग की बुराई को रोकने में उनकी भूमिका को संवेदित करने के लिए निर्दिष्ट करते रहे।

5. आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि आप बीडीएस / एमडीएस / पीजी डिप्लोमा / पैरा डेंटल पाठ्यक्रम या डीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले सभी छात्रों (प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष) और उनके माता-पिता / अभिभावकों से रैगिंग विरोधी होने का वचन पत्र प्राप्त करके (ऑनलाइन के माध्यम www.antiragging.in / www.amanmovement.org से) जमा करें।

6. उपर्युक्त के अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने वाले डीसीआई विनियम के खंड 12.1 के अनुसार प्रत्येक दंत संस्थान को पिछले शैक्षणिक सत्र के संबंध में अपेक्षित जानकारी (संलग्नक-II के निर्धारित प्रारूप में) अपनी रिपोर्ट सचिव, भारतीय दंत परिषद, ऐवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड़, नई दिल्ली - 110002 को, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर, तक प्रस्तुत करना है अन्यथा भारतीय दंत परिषद दन्त कालेजों में रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने वाले डीसीआई विनियम, 2009 के खंड 11.4 के अनुसार निम्नलिखित दंड के किसी एक या किसी भी संयोजन को लागू करेगा:


- 11.4.1 दंत्य चिकित्सा अधिनियम, 1948 के खंड 16ए के अधीन संस्थान के विरुद्ध मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई शुरू करना।
- 11.4.2 संस्थान की दाखिला क्षमता में उतनी कमी करना जितना परिषद उचित समझे।
- 11.4.3 अगले आदेश होने तक संस्थान में और आगे दाखिले बंद करना।
- 11.4.4 यूजी/पीजी दंत्य पाठ्यक्रमों के संबंध में अनुमति का नवीकरण बंद करना।
- 11.4.5 संबंधित संस्थान पर इस तरह लगाए गए दंडों से संबंधित सूचना सभी संबंधितों की जानकारी के लिए डीसीआई के वेबसाइट पर प्रस्तुत करना।

7. इसके अलावा, आपको यह भी सूचित करना है कि कागजी काम को कम करने और आवश्यक जानकारी / दस्तावेज अपलोड करने ओर उपर्युक्त डाटा की जांच करने के लिए डीसीआई ने डीसीआई वेबसाइट पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है, तदनुसार, दिनांक 13.10.2018 को नई दिल्ली में आयोजित डीसीआई की कार्यकारी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि दंत कॉलेजों में रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने वाले डीसीआई विनियम, 2009 के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी / दस्तावेज डीसीआई वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और किसी भी सूचना / दस्तावेजों की डाक द्वारा प्राप्त हार्ड कॉपी या ई-मेल द्वारा भेजी गयी जानकारी डीसीआई द्वारा स्वीकृत नहीं मानी जाएगी।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मुझे आपको यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि आप शैक्षणिक-सत्र 2019-2020 के लिए अपेक्षित जानकारी डीसीआई विनियमों के निर्धारित प्रारूप में (संलग्नक-II, के अनुसार), कृपया 31.10.2019 तक डीसीआई वेबसाइट पर अवश्य ही अपलोड करें, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मॉनिटरिंग कमेटी के अनुरोध के अनुसार, उक्त जानकारी को अपलोड किया जाना आवश्यक है। यदि डीसीआई वेबसाइट पर 31.10.2019 तक सूचना अपलोड नहीं की जाती है तो उस दोषी संस्थान का नाम उचित व उपयुक्त कार्यवाही के लिए मॉनिटरिंग कमेटी को भेजा जाएगा और उस संस्थान का नाम डीसीआई वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा।

9. कृपया इस पत्र को अति आवश्यक माना जाए।

10. भारतीय दंत परिषद किसी भी प्रकार की रैगिंग के खिलाफ शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करती है।

आपका आभारी

(मुकेश कुमार)
सहायक सचिव
भारतीय दंत परिषद

जानकारी के लिए प्रतिलिपि:

१. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग - दंत शिक्षा अनुभाग), निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली - 110 011
२. उप सचिव (स्वास्थ्य शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कमरा नं 506, 'बी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001
३. डॉ पंकज मित्तल, अतिरिक्त सचिव, यू.जी.सी., बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110 002
४. डॉ अर्चना ठाकुर, संयुक्त सचिव, यू.जी.सी., बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110 002
५. सुश्री चंद्रकांता भल्ला, अवर सचिव, यूजीसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 35, फिरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली -110001
६. प्रो० एस० के० कठारिया, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, डेंटल सर्जरी, एस० एन० मेडिकल कॉलेज, आगरा - 282 003 (उ०प्र०)
७. अध्यक्ष, भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली
८. सर्वर कक्ष, डीसीआई वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

-६०-

(मुकेश कुमार)
सहायक सचिव
भारतीय दंत परिषद